National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 04-11-2024, Accepted: 05-12-2024, Published: 20-12-2024
Volume 9, Issue 4, 2024, Page No. 37-38

अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा

डॉ. अमिता मीना
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश
डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के ऐसे महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक नई दिशा प्रदान की। उनके अनुसार सामाजिक न्याय केवल कानून के समक्ष समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा और सम्मान प्रदान करने की प्रक्रिया है । अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति–व्यवस्था, छुआछूत और असमानता को सामाजिक अन्याय का मूल कारण माना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक सामाजिक ढाँचा समानता पर आधारित नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र केवल एक औपचारिक प्रणाली बना रहेगा ।
उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सामाजिक न्याय का आधार माना, जो कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं । यह शोध–लेख अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इसकी समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है।

मूल शब्दः सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जाति–व्यवस्था, छुआछूत, सामाजिक असमानता, लोकतंत्र, मानव गरिमा, समतामूलक समाज, अवसर की समानता

प्रस्तावना
भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन इन विविधताओं के साथ–साथ इसमें गहरी सामाजिक असमानताएँ भी विद्यमान रही हैं। जाति–प्रथा, जो भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है, ने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक अवसरों में भारी असमानता उत्पन्न हुई। डॉ. अंबेडकर ने इस समस्या को केवल सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक संरचनात्मक अन्याय के रूप में समझा। उनके अनुसार, जब तक समाज में समान अवसर और अधिकार नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ पूरा नहीं हो सकता । अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को एक व्यापक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि समाज में कुछ वर्गों को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों से वंचित रखा जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।

सामाजिक न्याय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि
सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न दार्शनिकों द्वारा किया गया है। प्लेटो और अरस्तू ने न्याय को समाज में संतुलन और नैतिकता के रूप में देखा, जबकि आधुनिक विचारकों जैसे जॉन रॉल्स ने इसे समान अवसर और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से जोड़ा ।
भारतीय परंपरा में भी बुद्ध और अन्य संतों ने सामाजिक समानता और मानवता पर बल दिया। अंबेडकर ने इन विचारों को आधुनिक संदर्भ में पुनः परिभाषित किया और इसे एक व्यावहारिक सामाजिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया । उनका मानना था कि सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यक सामाजिक लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा
अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा तीन प्रमुख स्तंभोंकृ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वकृपर आधारित है। स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार है, तो वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है । समानता उनके विचारों का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने कहा कि जाति–व्यवस्था समाज में असमानता को स्थायी बना देती है, जिससे व्यक्ति के विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं । बंधुत्व का अर्थ है समाज में एकता और भाईचारे की भावना का विकास। अंबेडकर के अनुसार, यदि समाज में बंधुत्व नहीं होगा, तो स्वतंत्रता और समानता भी स्थायी नहीं रह सकती ।

जाति–व्यवस्था और सामाजिक अन्याय
अंबेडकर ने जाति–व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा कारण माना। उनके अनुसार यह व्यवस्था व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्थिति को जन्म के आधार पर निर्धारित करती है, जो कि मानवाधिकारों के विरुद्ध है।
उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “Annihilation of Caste” में यह तर्क दिया कि जाति–प्रथा समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा देती है ।इस व्यवस्था के कारण समाज में ऊँच–नीच की भावना उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक एकता और विकास बाधित होता है।

संविधान और सामाजिक न्याय
डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए। मौलिक अधिकारों के माध्यम से उन्होंने समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया, जो कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था । इसके अलावा, आरक्षण नीति के माध्यम से उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करने का प्रयास किया ।

आर्थिक न्याय और अंबेडकर
अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समाज में संसाधनों का वितरण असमान होगा, तो सामाजिक असमानता भी बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने राज्य समाजवाद का

समर्थन किया और आर्थिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात की ।

महिला अधिकार और सामाजिक न्याय

अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने Hindu Code Bill के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए महिलाओं को समान अधिकार मिलना आवश्यक है।

शिक्षा का महत्व

अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। उनका प्रसिद्ध नाराकृ "शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो"कृआज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है।

निष्कर्ष

अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक न्याय संभव नहीं है। आज भी उनके विचार सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं ।

संदर्भ सूची

1. भीमराव रामजी अंबेडकर. (2016). शूद्र कौन थे?. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
2. भीमराव रामजी अंबेडकर. (2017). अछूत कौन और कैसे?. नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन।
3. जाटव, डी. आर. (2015). डॉ. अंबेडकर का सामाजिक दर्शन. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
4. कीर, धनंजय. (2016). डॉ. अंबेडकररू जीवन और मिशन. नई दिल्ली: लोकप्रिय प्रकाशन।
5. ओमवेद्त, गेल. (2018). अंबेडकररू एक समालोचनात्मक अध्ययन. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
6. झा, रमेश. (2017). भारतीय समाज और अंबेडकर विचार. पटनारू ग्रंथ अकादमी।
7. कुमार, अशोक. (2019). अंबेडकर और सामाजिक न्याय. नई दिल्ली: सैज प्रकाशन।
8. सिंह, राजेश. (2020). भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय. नई दिल्ली: दीप एंड दीप प्रकाशन।
9. शर्मा, आर. के. (2018). भारतीय राजनीतिक चिंतन में अंबेडकर. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।